आंध्र प्रदेश सरकार तथा अन्य

बनाम

एन. सुब्बारायुडू तथा अन्य

(सिविल अपील क्रमांक 3939-3941, 2002)

26 मार्च, 2008

(एच. के. सेमा और मार्कंडेय काटजू, जे. जे.)

भारत का संविधान, 1950:

अनुच्छेद 14- निजी सहायता प्राप्त महाविद्यालय में व्याख्याताओं को पेंशन लाभ प्रदान करना- कट ऑफ तिथि 1.11.1992 निर्धारित करना- उच्च न्यायालय ने निर्धारित कट ऑफ तिथि को मनमाना और भेदभावपूर्ण माना- अभिनिर्धारित, कट ऑफ तिथियाँ तय करना कार्यकारी प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र में है और न्यायालय को सामान्यतः ऐसे आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जब तक कि यह स्पष्ट रूप से भेदभावपूर्ण और मनमाना न प्रतीत हो-कट ऑफ तिथि कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा और्थिक स्थिति, वित्तीय बाधाओं और कई अन्य प्रशासनिक और संबंधित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तय की जाती है- भले ही कोई कारण नहीं बताया गया हो कि कोई विशेष अन्तिम तिथि क्यों चुनी गई है, न्यायालय को अभी भी उस तारीख को मनमाना और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन घोषित नहीं करना चाहिए, जब तक कि उक्त कट ऑफ तिथि स्पष्ट रूप से मनमौजी या अपमानजनक परिणाम न दे-

सेवा कानून- पेंशन लाभ प्रदान करना- कट ऑफ तिथि- शैक्षणिक संस्थान- व्याख्याताओं को पेंशन- कट ऑफ तिथि।

पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम अमर नाथ गोयल और अन्य (2005) 6 ऐसे. सी. सी. 754- पर निर्भर।

डी. ऐसे. नकारा एवं अन्य बनाम भारत संघ 1983 (1) ऐसे. सी. सी. 305- संदर्भित।

न्यायिक प्रतिबंधः

कट ऑफ तिथि- व्याख्याताओं को पेंशन देने के लिए सरकार द्वारा तय की गई- अभिनिर्धारित; न्यायालय को न्यायिक संयम बरतना चाहिए और आम तौर पर कट ऑफ तिथि तय करने के लिए इसे कार्यकारी अधिकारियों पर छोड़ देना चाहिए- सरकार को इस संबंध में कुछ छूट व स्वतंत्रता देनी चाहिए। न्यायालय को विधायी या कार्यकारी क्षेत्र से संबंधित मामलों में न्यायिक संयम बनाये रखना चाहिए।

बिहार राज्य बनाम रामजी प्रसाद 1990 (3) ऐसेसीसी 368; भारत संघ बनाम सुधीर कुमार जायसवाल 1994 (4) ऐसे. सी. सी.212; रामराव व अन्य बनाम अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग बैंक कर्मचारी कल्याण संघ तथा अन्य 2004 (2) ऐसेसीसी 76; विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाम साधना चौधरी तथा अन्य। 1996 (10) ऐसे. सी. सी. 536; मंडल प्रबंधक, अरावली गोल्फ क्लब तथा अन्य बनाम चंदर हास तथा अन्य 2008 (3) 3 जे. टी. 221 और आंध्र प्रदेश सरकार तथा अन्य बनाम श्रीमती पी. लक्ष्मी देवी 2008 (2) 8 जे. टी. 639- पर निर्भर।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या 3939-3941 वर्ष 2002

हैदराबाद स्थित आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 2089, 2461 तथा 2480/1990 में पारित अन्तिम निर्णय तथा आदेश दिनाँक 23-06-2000 से।

के साथ

2004 की सिविल अपील संख्या 3983

डी. भारती रेड्डी- अपीलकर्ताओं के लिए।

पी. ऐसे. नरसिम्हा, एम. श्रीनिवास और. राव, आबिद अली बीरन पी तथा नीरू वैद- प्रत्यर्थियों की और से।

न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया -

ये अपीलें राज्य द्वारा उच्च न्यायालय की डिवीजन बैंच के निर्णय और आदेश के विरूद्ध दायर की गयी हैं। आक्षेपित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि उत्तरदाताओं को पेंशन नियम 1980 के प्रावधानों के तहत उनकी सेवानिवृत्ति की संबंधित तारीखों से पेंशन लाभ का भुगतान किया जाए।

हमने पक्षकारों को विस्तार से सुना।

संक्षेप में बताए गए तथ्य इस प्रकार हैं-

उत्तरदाता निजी सहायता प्राप्त महाविद्यालय में व्याख्याता थे। उत्तरदाताओं की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष थी। 1993 में शिक्षा संहिता में एक संशोधन द्वारा, उत्तरदाताओं की सेवानिवृत्ति की आयु घटाकर 58 वर्ष कर दी गयी है। उक्त संशोधन में यह भी प्रावधान किया गया कि उत्तरदाता 1 नवंबर 1992 से पेंशन के हकदार होंगे।

इससे व्यथित होकर, उत्तरदाताओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की।पक्षकारों को सुनने के बाद, उच्च न्यायालय की खंड पीठ का मानना था कि सरकार द्वारा तय की गई कट ऑफ तिथि 1/11/1992 मनमानी और भेदभावपूर्ण थी।

इस न्यायालय के निर्णयों की एक श्रंखला में यह माना गया है कि और्थिक स्थिति, वित्तीय बाधाओं और कई अन्य प्रशासनिक और अन्य उपस्थित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा कट ऑफ तिथि तय की जाती है। इस न्यायालय का यह भी विचार है कि कट ऑफ तिथियां तय करना कार्यकारी प्राधिकारी

के अधिकार क्षेत्र में है और न्यायालय को आम तौर पर कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा कट ऑफ तिथियां तय करने में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जब तक कि ऐसा आदेश उसे स्पष्ट रूप से भेदभावपूर्ण और मनमाना प्रतीत न हो। (पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम अमर नाथ गोयल और अन्य देखें, (2005) 6 ऐसेसीसी 754)

इसमें कोई संदेह नहीं कि डी. ऐसे. नकारा और अन्य बनाम बनाम भारत संघ 1983 (1) ऐसे. सी. सी. 305 में इस न्यायालय ने पेंशन की मांग के संबंध में कट ऑफ तिथि को रदद कर दिया था। हालांकि, बाद के निर्णयों में इस न्यायालय ने नकारा के मामले (सुप्रा) में अपनाए गए कठोर दृष्टिकोण को काफी हद तक कम कर दिया है, जैसा कि पंजाब राज्य और अन्य बनाम अमर नाथ गोयल और अन्य (सुप्रा) में इस न्यायालय के निर्णय के पैरा 29 में विवेचित किया गया है।

कार्यकारी प्राधिकारियों के मन में विभिन्न विचार हो सकते हैं जिसके कारण एक विशेष कट ऑफ तिथि तय की गई है। ये विचार वित्तीय, प्रशासनिक या अन्य विचार हो सकते हैं। न्यायालय को न्यायिक संयम बरतना चाहिए और आम तौर पर कट ऑफ तिथि तय करने का काम कार्यकारी प्राधिकारियों पर छोड देना चाहिए। सरकार को इस संबंध में कुछ छूट व स्वतंत्रता देनी चाहिए।

वास्तव में इस न्यायालय के कई फैसले यहां तक कह चुके हैं कि कट ऑफ तिथि के चुनाव को मनमाना करार नहीं दिया जा सकता, भले ही सरकार द्वारा दायर जवाबी हलफनामें में इसके लिए कोई विशेष कारण न दिया गया हो, (जब तक कि इसे मनमौजी या बेतुका होना न दिखाया गया हो), बिहार राज्य बनाम रामजी प्रसाद 1990 (3) ऐसे. सी. सी. 368, यूनियन ऑफ इंडिया तथा अन्य बनाम सुधीर कुमार जायसवाल 1994 (4) ऐसे. सी. सी. 212 (पैरा 5 के अनुसार), रामराव तथा अन्य

बनाम अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग बैंक कर्मचारी कल्याण संघ और अन्य 2004 (2) एस सी सी 76

(पैरा 31 देखें), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाम साधना चौधरी और अन्य 1996 (10) ऐसे. सी. सी. 536, आदि। इसलिए, इससे पता चलता है कि भले ही सरकार या कार्यकारी प्राधिकारी के जवाबी हलफनामें में कोई कारण नहीं दिया गया है कि एक विशेष कट ऑफ तिथि क्यों चुनी गई है, फिर भी न्यायालय को उस तारीख को मनमाना और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन घोषित नही करना चाहिए, जब तक कि उक्त कट ऑफ तिथि से कोई स्पष्ट रूप से मनमौजी या अपमानजनक परिणाम न हो।

जैसा कि इस न्यायालय द्वारा प्रभागीय प्रबंधक, अरावली गोल्फ क्लब एवं अन्य बनाम चंदर हास एवं अन्य 2008 (3) 3 जे. टी. 221 और आंध्र प्रदेश सरकार तथा अन्य बनाम श्रीमती पी. लक्ष्मी देवी 2008 (2) 8 जे. टी. 639 में अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायालय को विधायी या कार्यकारी क्षेत्र से संबंधित मामलों में न्यायिक संयम बनाए रखना चाहिए।

उपर्युक्त कारणों से उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश को रद्दद किया जाता है।

अपीलें स्वीकार की जाती हैं।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी राकेश कुमार शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।